

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठाधीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 294/2023

1. संदीप कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 4 एन.डी.आर, मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। -- वादी


बनाम

सुमन पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़। -- प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :- 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा



निर्णय

दिनांक :- 30.04.2024

वादी को ओर से श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री विकास शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.04.24 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित पृथ्वीराज के नाम से चक नम्बर 4 एन.डी.आर. के वर्तमान खाता संख्या 55/43 में कुल 5.566 हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 117/1 में कुल 3.036 हैक्टर में से 1/12 हिस्सा व तहसील नोहर के ग्राम थिराना के खाता संख्या 160/134 में कुल 6.324 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा आराजी का वादी को काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 4 एन.डी.आर. के वर्तमान खाता संख्या 55/43 व इसी चक के खाता संख्या 117/1 व तहसील नोहर के ग्राम थिराना के खाता संख्या 160/134 में से पृथ्वीराज का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।



खर्चा फरीकौन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



(स्वाति गुप्ता)

उत्प्रेषण अधिकारी एवम्
पंचदेम सहायक कलक्टर
दिल्ली

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---